**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू**
**पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)**

मुकदमा नम्बर 81/2019

दायर दिनांक–07.06.2019

1 मंदिर श्री गोपीनाथजी ग्राम लोहार्गल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू नाबालिक जरिये निकटमित्र 1. युनुस पुत्र इस्लाम, 2. फिरोज बानो पत्नी ईस्लाम समस्त जाति मणियार निवासी चिराणा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

– वादी

**बनाम**

1. इदरीस पुत्र सदीक
2. सकील पुत्र मजीद
3. मुस्ताक पुत्र मजीद
4. अनवर पुत्र मजीद
5. आबिद पुत्र मजीद
6. इमरान पुत्र मजीद
7. सुन्दर बानो पत्नी मजीद
8. जमाल पुत्र करीमबक्स
9. सलीम पुत्र सतार समस्त जाति मणियार निवासीगण चिराणा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद वार्ड नं0 1 पॉवर हाउस के पीछे सीकर जिला सीकर
10. सदाम पुत्र इस्लाम जाति मणियार निवासी चिराणा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
11. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

–प्रतिवादीगण

**वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़**
**वकील प्रतिवादी :– श्री कालूराम सैनी**

**दावा बाबत**
**स्थाई निषेधाज्ञा**

## –:: निर्णय ::–

**दिनांक– 23.09.2025**

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 297 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 2.76 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.5 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.00 है0 भूमि को प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 7 अन्यत्र को विक्रय नही करें, न ही वेस्ट डेमेज करें, न ही छोटे छोटे प्लॉट काटकर अकृषि में परिवर्तित करें तथा न ही वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 के कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा करें। वादग्रस्त भूमि के टीले को जे0सी0बी0 मशीन से काटकर उसकी मिटटी को विक्रय कर भूमि को खुर्द बुर्द नही करें तथा न ही अन्य किसी का कब्जा करावे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें अथवा न अपने अधिनस्थ नौकरचाकर, प्रतिनिधि, संबंधी आदि से करावे। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 को उसके हिस्सेदारी की भूमि को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। मौके की यथास्थिति बनाई रखे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर [illegible] तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 स्वयं उप0। प्रतिवादीगण संख्या [illegible] 7 [illegible] र से वकील श्री कालूराम सैनी ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादी[illegible] की तलबी सम्यक [illegible] के बावजूद उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्ध एक[illegible] कार्यवाही अमल [illegible] गई।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से इकबालिया जवाब दावा [illegible] तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 व 07 प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात [illegible] म नही की गई। वकील वादी की ओर से शहादत वादी में वादी रामा देवी के चीफ का सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव कायपालक
मजिस्ट्रेट ( फास्ट-ट्रेक ) नवलगढ़

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि बागोरियां की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 297 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 2.76 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.00 है0 भूमि मंदिर गोपीनाथजी लोहार्गल के नाम दर्ज शुदा है। जिसपर वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 उक्त भूमि को अवैधानिक रूप से छोटे छोटे प्लॉट में काटकर जरिये इकरारनामा विक्रय करने तथा खुर्द बुर्द करने पर तथा विधिविरूद्ध अकृषि में परिवर्तित करने पर अमादा है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण को ऐसा कृत्य नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 से प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि मंदिर श्री गोपीनाथजी के नाम दर्जशुदा राजस्व रिकॉर्ड तथा कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि को विक्रय, हस्तांतरण तथा खुर्द बुर्द करने का अधिकार प्रतिवादीगण को नही है। अतः प्रतिवादीगण को उक्त भूमि के विक्रय/बेचान तथा हस्तांतरित कर खुर्द बुर्द नही किये जाने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

**–:आदेशः–**

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 297 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 2.76 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.00 है0 भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि का विक्रय/बेचान/हस्तांतरण आदि नही करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सैनी )
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:40 IST
Reason: SelfAttested